कार्यालय प्राचार्य, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, कोरबा
बाल्को-उरगा रिंग रोड़, ग्राम झगरहा, पो. रिसदी, कोरबा (छ.ग.) 495 683
फोन नं. 07759-659874, 094241-44099, 098939-05053, 099814-43708
E-mail: korbait@rediffmail.com, Website: www.itkorba.com

(06)

क्रमांक/आई.टी.के./केंटिन/2016/ कोरबा, दिनांक / /2016

निविदा शर्तें

01. इस कार्य हेतु चयनित निविदाकार को उसके द्वारा निविदित प्रतिमाह दर पर महाविद्यालय द्वारा केंटिन भवन व जल सुविधा दी जाएगी किन्तु उपयोग की गई विद्युत सी.एस.ई.बी. द्वारा महाविद्यालय को समय-समय बिलिंग पर किये जाने वाले यूनिट की दर (एच.टी. दर) पर मीटर द्वारा महाविद्यालय प्रतिमाह अतिरिक्त राशि लेगा। इसके अलावा अन्य कोई सुविधा नहीं दी जायेगी।
02. निविदाकार को अनिवार्य रूप से (सी.एस.ई.बी. के द्वारा समय-समय पर लिये जाने वाली प्रति यूनिट बिलिंग दर पर प्रतिमाह व मीटर के अनुसार) बिजली बिल एवं भवन किराया का भुगतान 10 तारीख तक लेखा शाखा में जमा करना आवश्यक होगा। यह राशि केंटिन के जमानत राशि के अतिरिक्त होगी।
03. केंटिन का किराया तथा बिजली बिल का भुगतान लगातार दो महिने तक नहीं करने की स्थिति में जमानत राशि में से काटकर शेष राशि निविदाकार को वापस करते हुये केंटिन का अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा।
04. महाविद्यालय प्रशासन की जल, भवन तथा बिजली सुविधा उपलब्ध कराने के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होगी। इस हेतु चयनित निविदाकार को स्वयं का बर्तन तथा अन्य संबंधित सामग्री लाने होंगे।
05. केंटिन भवन तथा फर्नीचर, बर्तन इत्यादि की साफ सफाई रखना अनिवार्य होगा।
06. खाद्य पदार्थ के सेवन से होने वाली सभी प्रकार के दुष्प्रभाव एवं परिणाम के लिये निविदाकार जिम्मेदार होगा। महाविद्यालय प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
07. खाने की समस्त वस्तुएँ एगमार्क प्रमाणित सामग्री द्वारा तैयार करना होगा एवं खाद्य पदार्थों को उचित रूप से शो-केस में रखना होगा।
08. इस तरह की केंटिन चलाने अगर शासन के अन्य दिशा निर्देश है, तो उनका पालन निविदाकार की जिम्मेदारी है।
09. केंटिन सुबह 06:00 बजे से शाम 08:00 बजे तक ही चलाई जा सकती है।
10. केंटिन में पान, गुटखा, तम्बाखू, सिगरेट या अन्य व्यसन की सामग्री नहीं बेची जा सकती है।
11. सामान्यतः यह केंटिन 01 वर्ष के लिये है, पर निविदाकार की गुणवत्ता/अपेक्षाओं के आधार पर बढ़ाया/घटाया जा सकता है।
12. निविदा अवधि के पूर्व यदि निविदाकार यह कार्य बंद करना चाहें तो उसे एक माह का पूर्व नोटिस देना होगा। उसके द्वारा जमा की गई जमानत राशि से संस्था को देय राशि की कटौती कर शेष राशि उसे भुगतान किया जा सकेगा।
13. छात्रों से विक्रय में उधारी हेतु निविदाकार स्वयं जिम्मेदार होगा।
14. यह ठेका अहस्तांतरणीय होगा।
15. नियत तिथि व समय पर निविदायें क्रय समिति व उपस्थित निविदाकार (अथवा उनके प्रतिनिधियों) के समक्ष खोली जायेगी, इस हेतु कोई पृथक आमंत्रण/सूचना नहीं दी जायेगी।

(07)

16. यह ठेका अधिकतम किराया प्रतिमाह ठेके की राशि देने वाले निविदाकार को देय होगा। भवन किराया प्रतिमाह के अतिरिक्त नियमानुसार सर्विस टेक्स देय होगा।

17. निविदा प्रपत्र केसाथ निविदाकार को फर्म रजिस्ट्रेशन सर्विस टैक्स रजि. PAN, TAN Clearance Certificate (विगत वर्ष तक) की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

18. एक से अधिक निविदाकार की प्रतिमाह महाविद्यालय को देय ठेका राशि समान होने पर यह ठेका लॉटरी द्वारा किया जायेगा।

19. निविदाकार के निविदा भरने मात्र से ही यह मान लिया जायेगा कि उसे निविदा की समस्त शर्तें स्वीकार है। निविदाकार ऐसी कोई शर्तें नहीं डालेगा जो निविदा शर्तों के विपरीत हो, ऐसी शर्तें अमान्य है।

20. निविदाकार मूल प्रपत्र को ही भरकर सील बंद लिफाफा में नियत तिथि व समय तक रजिस्ट्री/स्पीड पोस्ट या पी.एंड.टी. विभाग द्वारा अधिकृत कोरियर या व्यक्तिगत रूप से जमा करेंगे।

21. निविदा के साथ रूपये 5000/- (रू. पाँच हजार मात्र) का ई.एम.डी. राशि का बैंक ड्राफ्ट जो कि "प्राचार्य, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, कोरबा (छ.ग.)" के नाम से कोरबा में देय हो जमा करना होगा।

22. जिस भी निविदाकार की निविदा स्वीकार्य होगी, उसे रूपये 25000/-(रू. पच्चीस हजार मात्र) की जमानत राशि डी.डी. के माध्यम से "प्राचार्य, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, कोरबा (छ.ग.)" के नाम से कोरबा में देय हो जमा करना होगा।

23. केंटिन का अनुबंध दोनों पक्षों द्वारा एक माह के सूचना पर समाप्त की जा सकेगी। निविदाकार को उपरोक्त शर्तों के पालनार्थ 100.00 (रू. सौ मात्र) के स्टाम्प पेपर पर इकरार नामा देना होगा।

24. विक्रय की गई वस्तुओं पर विक्रय कर/सर्विस टेक्स संबंधी समस्त मामलों की जिम्मेदारी निविदाकार की स्वयं की होगी।

25. निविदाकार यदि यह प्रपत्र वेबसाईट से डाउनलोड करता है, तो वह रूपये 1,000/- का "प्राचार्य, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, कोरबा (छ.ग.)" के नाम से कोरबा में देय डी.डी. को निविदा प्रपत्र के मूल्य के रूप में "सुरक्षा निधि लिफाफा" में रखें। अन्यथा यह माना जायेगा कि उसने निविदा प्रपत्र विधिवत् रूप से क्रय नही किया है।

26. कार्यालयीन समय में निविदा प्रपत्र क्रय किया जा सकता है, टेण्डर की कीमत रूपये1,000.00 (रू. एक हजार मात्र) होगा।

27. संस्था के केंटिन में निर्मित खाद्य सामग्रीयों का दर महाविद्यालयीन केंटिन समिति, निविदाकार एवं छात्र प्रतिनिधी द्वारा निर्धारित की जायेगी। केंटिन समिति एवं छात्र प्रतिनिधियों द्वारा केंटिन संचालन के कार्य के आकलन के आधार पर संस्था में स्थित छात्रावासों की मेस का संचालन भी आपसी सहमति से सौपा जा सकता है।

28. केंटिन में कोई भी बाल श्रमिक रखने की अनुमति नहीं होगी।

29. विवाद की स्थिति में प्राचार्य का निर्णय अतिंम होगा।

30. न्यायलयीन प्रकरण की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र कोरबा होगा।

प्राचार्य,
इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी,
कोरबा (छ0ग0)

2/2

निविदाकार की निविदा

मुझे (नाम)..पता..
...............................फोन नं......................... उक्त शर्तें मंजूर है व मैं इस केंटिन को प्रतिमाह रूपये ....(शब्दों में ....) किराया पर चलाने को तैयार हूँ। मुझे ठेका मिलने पर यह राशि में प्रतिमाह महाविद्यालय की लेखा शाखा में जमा कर दूंगा।

निविदाकार का हस्ताक्षर

फर्म की सील

नामः- ....

पताः- ....

....